HOME (POLICE) DEPARTMENT

The 11th December, 1985

No. 15174/SA-2.— Cash Leave(.)—In accordance with the instructions contained in Haryana Government, Finance Department letter No. 11/5/78-FR-II, dated 13th August, 1978 and No. 11/5/78-FR-II, dated 21st August, 1978, read with the advice received from the Home Department, Haryana,—*vide* their letter No. 17/172-HGI, dated 25th April, 1979, the Governor of Haryana is pleased to grant cash payment in lieu of 180 days unutilised leave equivalent to leave salary to Shri Dayal Chand, Deputy Superintendent of Police, SVB/Haryana, who has been retired on superannuation on the afternoon of 30th June, 1985, on the following conditions :—

(1) The cash equivalent of leave salary thus admissible will be paid in the lump sum as one time settlement.

(2) The cash payment will be equal to leave salary admissible for earned leave and dearness allowances admissible on that leave salary at the rates in force on the date of retirement and no compensatory allowance, house rent allowances and kit maintenance allowance shall be payable.

It is certified that Shri Dayal Chand, DSP, did not avail of any portion of L.P.R. of 180 days before the date of superannuation.

M. S. BAWA,

Joint Secretary and Director-General of Police, Haryana.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 10 दिसम्बर, 1985

क्रमांक 1307-ज(2)-85/37004.—श्री याद राम, पुत्र श्री बिहारी, गांव गांवड़ी, तहसील कोसली, जिला रोहतक, की दिनांक 13 जून, 1973, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, ह[illegible]ा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री याद राम की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3723-आर(4)-67/3283, दिनांक 16 सितम्बर, 1967 तथा 5041-आर(III)-70/29595, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती रेवती के नाम रबी 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1382-ज(2)-85/37008.—श्री जाहरिया, पुत्र श्री महासुख, गांव मुण्डा हेड़ा, तहसील कोसली, जिला रोहतक, की दिनांक 28 नवम्बर, 1983, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जाहरिया की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 429-ज(II)-74/19971, दिनांक 18 जून, 1974, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरती के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

ओ० पी० सांगड़ा, अवर सचिव।

LATE NOTIFICATIONS